सत्यब्रत साहु, आईएएस

संयुक्त सचिव

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,

अ.भाा. सं0 जी–11012/01/2015–डब्ल्यूक्यू

दिनांक 19 फरवरी, 2015

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको विदित होगा कि मानव अधिकार आयोग, आकल समिति और ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति ने दे   ा में जल गुणता के संदूशण को गंभीरता से लिया है। जहॉं मुख्य रासायनिक संदूशकों अर्थात् आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता और नाइट्रेट की मानिटरिंग इस मंत्रालय द्वारा की जा रही है, यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जल बहुत से जल स्रोत भारी धातुओं, पेस्टीसाइडों और उर्वरकों से संदूशित हैं। आपको जानकारी होगी कि भारी धातुओं और पेस्टीसाइडों के परीक्षण के लिए अधुनातन उपकरणों की जरूरत होती है जब कि आर्द्र रसायनिकी डिविजन और बैक्टीरियोलोजिकल परीक्षण डिविजन संदूशण स्तर की जॉच करने के लिए वि ाश्ट प्रक्रियाओं की मांग करते हैं। इस प्रयोजन के लिए इस मंत्रालय ने यूनिफॉर्म पेयजल गुणता मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल परिचालित किया था, जिसका पालन करने की आव   यकता है और जिसके लिए राज्यों को 3 प्रति   ात एनआरडीडब्ल्यूपी–डब्ल्यूएमएस निधियों के अंतर्गत 100 प्रति   ात केंद्रीय अनुदान दिया जाता है।

उचित परीक्षण प्रोटोकॉल सुनि चत करने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि सभी राज्य स्तरीय जल गुणता परीक्षण प्रयोग   ाालाऍं एनएबीएल से यथा   ीघ्र प्रत्यायन लें। अतः आपसे अनुरोध है कि डब्ल्यूक्यूएमएस निधियों का उपयोग करते हुए त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई करें। अपरंच, राज्य स्तरीय प्रयोग   ाालाओं के एनएबीएल प्रत्यायन ले लेने पर ये जिला, ब्लॉक एवं उप खंड प्रयोग   ाालाओं की क्षमता का निर्माण कर सकती हैं और इन भविश्य में इन प्रयोग   ाालाओं के भी चरणबद्ध तरीके से एनएबीएल प्रत्यायन लेने में संदर्भ प्रयोग   ाला के रूप में काम कर सकती है।

सादर

भवदीय

हस्ता/–

सत्यब्रत साहु

सेवा में

सभी राज्यों/संघ भाासित क्षेत्रों के ग्रामीण जल पूर्ति के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव

वरिश्ठ तकनीकी निदे   ाक, एनआईसी––वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।